व्यक्त करने में उनकी असमर्थता के आधार पर नीचे के दर्जे के कर्मचारियों को अदक्ष नहीं समझा जायेगा ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). क्योंकि सेना मुख्यालयों में काम अंग्रेजी में होता है, सेना मुख्यालयों में काम करने वाले व्यक्तियों से अंग्रेजी में युक्तियुक्त दक्षता प्रत्याशित है । टिप्पण और मसौदे तैयार करने में कुशलता संबंधी तथा 'स्पष्टता, अर्थग्रहण और सोचने में मौलिकता तथा अभिव्यक्ति' संबंधी कैफियतें उन कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में देना पड़ता है । गोपनीय रिपोर्टों में दी गई किसी प्रकार की प्रतिकूल कैफियत मे अफसरों को सूचित कर दिया जाता है । अंग्रेज़ी की जानकारी के अभाव संबंधी कैफियत 1969-70 में एक मामले में सूचित की गई थी । इसे चेतावनी नहीं समझा जाता ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । किसी कर्मचारी की दक्षता या अदक्षता का निर्णय उसके समस्त कृत्य के आधार पर किया जाता है, न कि उसके कृत्य के केवल एक ही पहलू के आधार पर ।

भारतीय युवतियों का दासियों के रूप में व्यापार

8761. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान मासिक पत्रिका 'मदर इंडिया' के जनवरी, 1970 के अंक में "भारतीय युवतियों का दासी के रूप में व्यापार" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुए एक लेख की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पाकिस्तान सरकार का ध्यान नेहरू लियाकत करार के उपबन्धों की ओर दिलाने तथा पाकिस्तान में रह रही हिन्दू महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्यवाही करने का है ;

(ग) क्या सरकार का विचार विमानों तथा जहाजों की पूरी तलाशी लेने तथा विदेशियों द्वारा भारतीय युवतियों के प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजने पर रोक लगाने का है; और

(घ) क्या सरकार का विचार पाकिस्तान तथा सऊदी अरब के कांसुलों से अनुरोध करने का है कि वे उस व्यक्ति का पूरा ब्यौरा दिया करें जिसे वे विदेश भेजते हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). हम इस लेख की सच्चाई का, अथवा अन्यथा जो भी स्थिति हो, पक्का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं ।

LT. COLONELS ON WAITING LIST FOR EMPLOYMENT WITH DIRECTOR GENERAL OF RESETTLEMENT

8762. SHRI SHARDA NAND: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) the number of Lt. Colonels of less than 48 years of age on the waiting list for employment with the Director-General of Resettlement;

(b) how many of them are proposed to be given employment or resettled in the Central Reserve Police, Border Security Force, Special Frontier Force and Central Industrial Force;

(c) whether their is any proposal to give them employment in the public or private undertakings; and

(d) the date by which they would be given this employment ?

THE MINISTER OF DEFENCE AND STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI SWARAN SINGH): (a) Ten.

(b) Out of ten, 2 belong to low medical category and 2 to Technical arms. They are not normally considered for employment in the Police and para military forces.